लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4961

01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात पर एफटीए और पीटीए का प्रभाव

4961. श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री नवसकनी के.:

श्री जी. सेल्वम:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल निर्यात में कपास, सिंथेटिक कपड़े, रेशम, ऊनी और तकनीकी वस्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा है;

(ख) वस्त्र निर्यात में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत के वस्त्र निर्यात पर विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो ऐसे आकलनों का ब्यौरा क्या है तथा भारतीय वस्त्र निर्यात को प्रभावित करने वाले टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हथकरघा और पारंपरिक वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) विभिन्न सरकारी पहलों के अंतर्गत कितने भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यातकों को सहायता प्रदान की गई है;

(च) भारतीय वस्त्र उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) अंकित करने की स्थिति क्या है तथा इसका निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) डिजिटल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय कारीगरों और बुनकरों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के कपास, मैन-मेड, ऊनी, रेशम और तकनीकी वस्त्रों के निर्यात का ब्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है।

(ख) तथा (ग): भारत ने अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 14 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

सरकार भारतीय वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना बनाने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग आधारित, रोजगार उन्मुख, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण के लिए योजना-समर्थ शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार जीरो रेटेड वाले निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना भी लागू कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के तहत कवर नहीं किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया जाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि का आयोजन करने और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ): वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से निम्नलिखित योजना को कार्यान्वित करके देश के हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देता है:

i. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
ii. कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना;

- उपरोक्त योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघे एवं एसेसरीज की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- उपयुक्त शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादक कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों, निर्यात योग्य विशिष्ट हथकरघा उत्पाद तैयार करने वाले अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों आदि के साथ अंतर्राष्ट्रीय विपणन लिंकेज स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।
- हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन, इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी), हथकरघा मार्क (एचएलएम) और अन्य उपायों के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों, बड़े आयोजनों, क्रेता-विक्रेता बैठक, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक आदि के आयोजन/भागीदारी के माध्यम से बाजार में पहुंच बनाना।
- हथकरघा बुनकरों को यार्न उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) लागू की जा रही है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के यार्न के लिए माल ढुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है; और कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न तथा नैचुरल फाइबर्स के ब्लेंडेड यार्न के लिए 15% मूल्य सब्सिडी का प्रावधान है।

(ङ): हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) में पंजीकृत लगभग 2600 हस्तशिल्प निर्यातकों को वाणिज्य विभाग की एमएआई योजना के तहत भारत और विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के लगभग 582 सदस्य निर्यातकों को मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान विपणन सहायता प्रदान की गई।

(च): वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के संबंध में वस्तुओं के जियोग्राफिकल इंडीकेशन (जीआई) (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 के प्रावधानों को बढ़ावा देता है। उपरोक्त योजना के तहत, डिजाइनों/उत्पादों के पंजीकरण, कार्यान्वयन एजेंसियों के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और जीआई पंजीकरण के प्रभावी प्रवर्तन में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, कुल 658 जीआई टैग वाले उत्पादों में से कुल 214 हस्तशिल्प उत्पाद और 104 हथकरघा उत्पाद जीआई अधिनियम के तहत पंजीकृत किए गए हैं।

(छ): मार्केटिंग के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत देशभर में विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों को लागू कर रहा है, जिसमें कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, विशेष रूप से कारीगरों और बुनकरों के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल (www.Indiahandmade.com) शुरू किया गया है, जिस पर वे पूरे देश के खरीदारों को अपने उत्पाद बेच सकते हैं। कारीगरों को जेम पोर्टल पर भी जोड़ा जा रहा है, जहाँ वे अपने उत्पाद सरकारी कार्यालयों/पीएसयू आदि को बेच सकते हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का कपास, मैन-मेड, ऊन, रेशम का निर्यात:

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

माल	वित्त वर्ष 2021-2022	वित्त वर्ष 2022-2023	वित्त वर्ष 2023-2024
कॉटन यार्न	5498	2752	3780
अन्य टेक्सटाइल यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स आदि	650	730	731
अपशिष्ट सहित कच्ची कपास	2816	781	1117
कॉटन फैब्रिक्स, मेडअप्स आदि	8201	6821	6630
सूती वस्त्र	**17166**	**11085**	**12258**
मैन-मेड स्टेपल फाइबर	680	463	402
मैन-मेड यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	5615	4949	4679
मैन-मेड टेक्सटाइल	**6294**	**5412**	**5081**
कच्ची ऊन	0	1	1
वूलन यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स आदि	166	204	192
ऊन एवं ऊनी वस्त्र	**166**	**205**	**192**
नैचुरल सिल्क यार्न, फैब्रिकस, मेडअप	79	72	79
कच्ची रेशम	2	0	2
रेशम अपशिष्ट	28	22	38
रेशम उत्पाद	**109**	**95**	**119**

स्रोत: डीजीसीआईएस अनंतिम डेटा

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का तकनीकी वस्त्र निर्यात:

मूल्य करोड़ रुपये में

मद	वित्त वर्ष 2021-2022	वित्त वर्ष 2022-2023	वित्त वर्ष 2023-2024
तकनीकी वस्त्र	21194.62	20095.52	21407.38

स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय

***